प्रकाशित: 27 अप्रैल 2018 को दैनिक जागरण में प्रकाशित-

महिला कल्याण के बढ़ते कदम

डॉ. देवेंद्र कुमार

पिछले कुछ समय से महिलाओं से दुराचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कहना मुश्किल है कि ऐसी अमानवीय घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है या फिर उनकी रिपोर्टिंग बढ़ गई है? सच्चाई जो भी हो, जेंडर समानता के इस दौर में ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए , लेकिन कुछ विपक्षी दल और लिबरल बुद्धिजीवी इन घटनाओं का जिस तरह राजनीतिकरण कर रहे हैं वह उनकी विकृति को ही दर्शाता है। भारत को दुनिया में रेप कैपिटल के रूप में बदनाम करने का दुष्प्रचार कर रहे लोग शायद इससे अनभिज्ञ हैं या फिर अनभिज्ञ होने का नाटक कर रहे कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में महिला सशक्तीकरण को नए आयाम दिए गए हैं।

मोदी सरकार बनने के बाद महिला सशक्तीकरण के लिए सिर्फ बातें नहीं हुईं , बल्कि महिलाओं को सशक्त, सुरक्षित और सम्मानित जीवन देने के लिए विविध स्तरों पर प्रयास भी किए गए जिनका जमीनी असर भी दिखने लगा है। हाल में जिस तरह अध्यादेश लाकर पोक्सो कानून में परिवर्तन किया गया वह महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को ही दर्शाता है। अब नए कानून के अनुसार 16 वर्ष तक की लड़कियों के साथ दुराचार करने वालों को मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। इस अध्यादेश के जरिये वयस्क महिलाओं के साथ दुराचार होने पर मिलने वाली सजा को सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया है और दुराचार के मामलों को तेज गति से निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी संस्तुति की गई है। केंद्र सरकार की तर्ज पर जम्मू और कश्मीर सरकार ने भी ऐसा ही एक कानून बनाया है।महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों की प्राथमिकता अभी तक मुख्य रूप से उन पर होने वाले अत्याचारों तक ही सीमित थी। किसी ने भी उनके सम्मान, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तीकरण की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभालने के बाद तमाम ऐसी योजनाएं बनाईं जिनसे देश की 50 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचा है और उनके जीवन में सुधार हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार , पारंपरिक ईंधन से उठने वाले धुंए में खाना पकाने वाली महिला के फेफड़ों में सिर्फ एक घंटे में चार सौ सिगरेट पीने जितना धुआं पहुंचता है।

आजादी के बाद इन महिलाओं की किसी ने सुध नहीं ली। एलपीजी चलित चूल्हे सिर्फ समृद्ध वर्ग की रसोई में पाए जाते थे। 2014 में भाजपा सरकार बनने के पहले 67 वर्षों में केवल 13.4 करोड़ घरों तक एलपीजी पहुंची थी, जिनमें कुल जनसंख्या के 69 फीसद ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी 27 फीसद थी। पिछले चार वर्षों में 8.6 करोड़ नए घरों में एलपीजी पहुंचाई गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़कर 54 प्रतिशत हो गई है। केवल उज्ज्वला योजना के तहत साढ़े तीन करोड़ गरीब महिलाओं को एलपीजी दी गई है।

महिलाओं का खुले में शौच जाना उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने और साथ ही उनकी सुरक्षा को खतरे में डालता है। महिलाओं की तकलीफ के बारे में किसी सरकार ने न कुछ सोचा और न किया। मोदी सरकार ने लगभग सात करोड़ गरीबों के घरों में शौचालयों का निर्माण किया जिसकी प्रमुख लाभार्थी महिलाएं हैं। हालांकि इन शौचालयों के उपयोग पर कुछ लोगों ने प्रश्नचिन्ह भी लगाए हैं , लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार 93 फीसद नवनिर्मित शौचालय इस्तेमाल किए जाते हैं। इस रिपोर्ट पर विश्व बैंक ने भी मुहर लगाई है। महिलाओं के सशक्तीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उनकी पुरुषों पर आर्थिक आधीनता है। बैंक खाता होना आर्थिक स्वाधीनता और अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में आने की दिशा में पहला कदम होता है। इंदिरा गांधी ने कई दशकों पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया पर देश के आधे से अधिक गरीबों का खाता तक नहीं खुल पाया।

जनधन योजना के तहत 31 करोड़ से भी अधिक खाते खुले हैं जिनमें 15 करोड़ से भी अधिक गरीब महिलाओं के हैं। ये खातेउनकी आर्थिक स्वायत्तता को एक मजबूत आधार देते हैं। महिलाओं को रोजगार देने की दिशा में मुद्रा योजना के तहत मोदी सरकार ने लगभग 12 करोड़ छोटे और मध्यम उद्यमियों एवं स्वरोजगारियों को लाखों करोड़ रुपये के कर्ज की व्यवस्था की है। मुद्रा योजना के इन लाभार्थियों में नौ करोड़ से भी अधिक महिलाएं हैं। इसी तरह स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम के तहत भारी संख्या में महिलाओं को कर्ज दिया गया है। सरकार जल्द ही एक ऐसी योजना लाने वाली है , जिसमें एससी और एसटी महिलाओं को 30 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा। मोदी सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय महिला नीति ' में देश के कार्यबल में 2030 तक महिलाओं की भागीदारी 50 फीसद तक करने का लक्ष्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम है। मोदी सरकार ने मातृत्व लाभ कानून में संशोधन करके वैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने, घर से काम करने की व्यवस्था देने और कार्यालय के आसपास क्रेच की सुविधा

उपलब्ध कराने जैसे कदमों से कामकाजी महिलाओं को मातृत्व के कारण आने वाली मुश्किलों से राहत दिलाई है।

पिछले दिनों राहुल गांधी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का मखौल उड़ाया। उन्हें शायद पता नहीं कि देश के कुछ हिस्सों में लिंग अनुपात तेजी से गिरने से एक भयावह स्थिति पैदा हो रही थी। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत चुने गए 161 जिलों में से कई जिलों में इस योजना के चलते जन्म के समय होने वाले लिंग अनुपात में व्यापक सुधार हुआ है। इस योजना के चलते बालिकाओं के स्कूल ड्रॉपआउट में गिरावट आने , सौ प्रतिशत संस्थागत प्रसव व्यवस्था होने और स्कूलों में बच्चियों के लिए पृथक शौचालय बनने जैसे अनेक सकारात्मक प्रभाव हुए हैं। लड़कियों की पढ़ाई और विवाह , ये दोनों चीजें गरीब मां-बाप के लिए एक बड़ी समस्या हैं। सुकन्या समृद्धि योजना से सरकार ने बहुत कम सालाना किश्त पर एक ऐसी रकम मिलने की व्यवस्था की है जिससे बेटी की शिक्षा और विवाह सुगम हो जाएंगे। मोदी सरकार तमाम योजनाओं द्वारा महिलाओं को पुरुष प्रधान भारतीय समाज में अपनी पहचान बनाने के अवसर दे रही है। इस सरकार की नीतियों में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों की महिलाओं के सशक्तीकरण का लक्ष्य स्पष्ट है। ऐसे में महिलाओं के विकास के लिए प्रयासरत संगठनों , बुद्धिजीवियों और स्वयंसेवकों को मोदी विरोध को महिला विरोध का जामा पहनाने वाली शक्तियों के बहकावे में आने से बचना चाहिए।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)